न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 19/2020 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामावतार पुत्र श्री शैतान सिंह यादव उम्र करीब 55 साल
2. रामकुंवार पुत्र श्री शैतान सिंह यादव उम्र करीब 53 साल
3. विजय पुत्र श्री शैतान सिंह यादव उम्र करीब 49 साल जातियान अहीर निवासीयान यादव नगर, तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 हाल निवासी अलीपुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज0

..... अपीलाण्टान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय रामगढ जिला अलवर

.....असल रेस्पोडेण्ट

2. शेरसिंह पुत्र श्री चिरंजीलाल यादव जाति अहीर निवासी यादव नगर, तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0

.....तरतीबी रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

1. श्री जगदीश चन्द सतीजा, अभिभाषक अपीलांट।
2. सरकार पैरोकार।

::: निर्णय ::: **दिनांक :– 06.04.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 07.06.2012 दावा संख्या 1/02/2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ में इस प्रकार का वाद पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 774/0.38, 772/0.43 किता 2 रकबा 0.81 वाके ग्राम दोहली अगडीराम पुत्र मामराज चमार के नाम खातेदारी में दर्ज है। खातेदार अगडीराम ग्राम दोहली व पटवार मण्डल में नही रहता है। उपरोक्त खसरा नम्बरान पर रामकंवार, रामावतार, विजय पुत्र शैतान सिंह जाति यादव निवासी यादव नगर का कब्जा है। वादी द्वारा मौका पर्चा मूल पटवारी पटवार मण्डल खिलौरा

दिनांक 18.11.2011 पत्रावली में संलग्न कर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ से निवेदन किया कि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की व्यवस्था करें। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ ने एस0सी0 की भूमि पर सामान्य वर्ग काबिज होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 के नियम 175 (4), 5 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मूल खातेदार अगडीराम पुत्र मामराज चमार को रिकार्ड से कमलजन कर आराजी खसरा आराजी खसरा नम्बर 774/0.38, 772/0.43 किता 2 रकबा 0.81 वाके ग्राम दोहली को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया कि उक्त भूमि को रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किया जावे एवं वर्तमान में काबिज रामकुवार, रामावतार, विजय पुत्रान श्री शैतान सिंह जाति यादव निवासी यादव नगर तह0 रामगढ को ख0 नं0 774/0.38, 772/0.43 किता 2 रकबा 0.81 वाके ग्राम दोहली से बेदखल कर भूमि को कब्जेराज लिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.06.2020 को पटवारी हल्का मौके पर आये और उन्होने अपीलाण्टान से आलोच्य आदेश के आधार पर कार्य काश्त बन्द कर कब्जा वापस लेने को कहा। अपीलाण्टान को पूर्व में उक्त आदेश की कोई जानकारी नही थी। उक्त निर्णय दिनांक 07.06.2012 गलत तरीके से खिलाफ कानून एवं बिना अपीलाण्टान को सुनवाई का अवसर दिये एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है, जबकि अपीलाण्टान मौका पर लगातार काबिज चले आ रहे हैं। इसलिए अपीलाण्टान के अधिकार विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ में असल रेस्पोडेण्ट की ओर से विवादित आराजी का विक्रय पत्र की प्रति बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई, जिससे यह साबित हो कि अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा आराजी को स्वर्ण जाति के सदस्य को विक्रय की गई है। तहत अदालत में ऐसा कोई साक्ष्य असल रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया कि प्रकरण अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के तहत आता हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 07.06.2012 विधि विरूद्ध पारित किया है।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट भी पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी उस समय हुई, जब दिनांक 14.06.2020 को पटवारी हल्का मौके पर आये और उन्होने अपीलाण्टान से आलोच्य आदेश के आधार पर कार्य काश्त बन्द कर कब्जा वापस लेने को कहा। इसके उपरान्त अपीलाण्टान ने वकील से सम्पर्क किया तथा आदेश की नकल प्राप्त कर अपील पेश कर दी। दिनांक 07.06.2012 से दिनांक 14.06.2020 तक की देरी नेकनियति पर आधारित है, अतः इस अवधि का मुजरा दिया जाकर अपील स्वीकार करें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के खण्डन में कथन किया कि प्रार्थना पत्र में देरी का कोई दिनप्रतिदिन कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी मुख्य बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि गलत निर्णय की आड में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की खुली अवहेलना हुई और अपीलाण्ट के साथ न्याय नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में असल रेस्पोडेण्ट की ओर से विवादित आराजी का विक्रय पत्र की प्रति बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई, जिससे यह साबित हो कि अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा आराजी को स्वर्ण जाति के सदस्य को विक्रय की गई है और असल रेस्पोडेण्ट से साज–बाज होकर अधीनस्थ न्यायालय गलत निर्णय किया है जिसे अपास्त किया जाना आवश्यक है जिसे अपास्त किया जावे।

सरकार पैरोकार ने कथन किया कि विवादित आराजी अगडीराम पुत्र मामराज चमार के नाम खातेदारी में दर्ज है। खातेदार अगडीराम ग्राम दोहली व पटवार मण्डल में नही रहता है। उपरोक्त खसरा नम्बरान पर अपीलाण्टान का कब्जा है। एस0सी0 की भूमि पर सामान्य वर्ग काबिज नहीं हो सकता है, अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा उक्त अपील गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की है। अतः उक्त अपील को खारिज फरमाया जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेण्ट की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 07.06.2012 का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर विवेचन करना आवश्यक है। अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों में मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकन है कि "अगडीराम पुत्र मामराज जाति चमार द्वारा जरिये रजि. 1991 में खरीद की। वर्तमान में इन्तकाल अनुसार खातेदार है।" अदालत मातहत की पत्रावली व रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकन नहीं है कि अगडीराम द्वारा उक्त खातेदारी भूमि किस अन्य वर्ग के व्यक्तियों को बेचान या पट्टे पर दी हो, बल्कि रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजीयात अगडीराम रेकार्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा उपखण्ड न्यायालय रामगढ में धार 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनिययम का प्रार्थना पत्र गलत रूप से पेश किया गया व अदालत मातहत द्वारा बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किए निर्णय पारित किया। अदालत मातहत की पत्रावली में विक्रय विलेख या पट्टे का ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, जो अगडीराम चमार द्वारा अन्य वर्ग या जाति के व्यक्तियों को किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा अविधिक रूप से धारा 175 राज. काश्तकारी अधि. का निस्तारण किया गया है। प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज रिपोर्ट नहीं है, जिससे धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हो। किसी भी खातेदार काश्तकार के खातेदारी अधिकारों की

समाप्ति राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 62 व 63 में वर्णित विहित प्रक्रिया का कठोरतापूर्वक पालना के उपरान्त ही की जा सकती है। वस्तुतः तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रकरण में अनुसुचित जाति वर्ग के खातेदारी पर अन्य वर्ग के व्यक्तियों के कब्जा पाया जाने का स्पष्ट अंकन है। इस प्रकार उक्त प्रकरण धारा 183 बी राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आता है। धारा 183 बी में ऐसे प्रकरणों में बेदखली के लिए प्रार्थना पत्र खातेदार, प्राधिकृत सरकारी कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी खातेदार का विधिक प्रावधान के विपरित खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त विवेचन के आधारा पर अपीलांट अपील आंशिक स्वीकार किया जाता है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी रामगढ का निर्णय दिनांक 07.06.2012 को खारिज किया जाता है। प्रकरण अदालत मातहत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है क तहसीलदार की संलग्न रिपोर्ट पर वाद धारा 183बी या 62 व 63 अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दर्ज कर 'संक्षिप्त परीक्षण' करते हुए उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए अधिकतम 06 माह की अवधि में पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर